

प्रेषक,
सचिव,
उत्तरांचल सूचना आयोग
सी-10, सेक्टर-1, डिफेन्स कालोनी, देहरादून।

सेवा में,
प्रमुख सचिव/सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग
उत्तरांचल शासन।

संख्या — 2463/56-वा.प्र./उ.सू.आ./2006

दिनांक : सितम्बर 14, 2006

विषय— उत्तरांचल सूचना आयोग का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (2005–2006)

महोदय,

3 अक्टूबर, 2005 को प्रख्यापित एवं 18 अक्टूबर, 2006 को सक्रिय हुए उत्तरांचल सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2005–2006 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 का अधिनियम संख्याक 22) के उपबन्धों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की गई है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत तैयार किये गये इस आलेख प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को उत्तरांचल सूचना आयोग की 13 सितम्बर 2006 को हुई तीसरी बैठक में अनुमोदित किया गया। अनुमोदनोपरान्त आयोग द्वारा यह भी संकल्प पारित किया गया कि उपरोक्त अनुमोदित प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(1) में दी गई व्यवस्था के अनुसार उसे उत्तरांचल सरकार को सम्प्रेषित कर दिया जाय।

3. मुझे यह भी अवगत कराने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल सूचना आयोग के संकल्प के अनुसार उत्तरांचल सरकार से उत्तरांचल सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखवाने का अनुरोध भी कर दिया जाय।

4. उत्तरांचल सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की 5 प्रतियां मैं आयोग के संकल्प एवं निदेश के अनुसार आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित कर रही हूँ कि इसे कृपया विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखवाने का कष्ट करें और इन 5 प्रतियों की प्राप्ति भी कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें।

5. इस पत्र की एक प्रति सचिव, विधान सभा सचिवालय के भी सूचनार्थ पृष्ठांकित की जा रही है।

संलग्नक : वार्षिक प्रतिवेदन (2005–06)
उत्तरांचल सूचना आयोग
(5 प्रतियां)

भवदीय

(डॉ. शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय)
उपसचिव

प्रतिलिपि—

1. श्री महशे चन्द्र, सचिव, विधान सभा सचिवालय, देहरादून।
2. मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तरांचल सूचना आयोग।

(डॉ. शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय)
उपसचिव